"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012 2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2013—फाल्गुन 17, शक 1934

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री मुदित कुमार, भा.व.से., (सी.जी. : 1984) मुख्य वन संरक्षक से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (CIDC), रायपुर का प्रभार वापस लेते हुये अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री आर. के. सिंह, भा.व.से., (सी.जी. : 1983) संचालक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के भारमुक्त होने पर श्री मुदित कुमार कार्यभार ग्रहण करेंगे.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

3. श्री आलोक कटियार, भा.व.से., (सी.जी. : 1993) की सेवायें वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुये, अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (CIDC), रायपुर के पद पर पदस्थापना हेतु वित्त एवं योजना विभाग को सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्रीमती ऋतु सैन, भा.प्र.से., (सी.जी. : 2003) को अवकाश से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. साथ ही सचिव, छ.ग. राज्य वित्त आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्रीमती सैन भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शहला निगार, भा.प्र.से. (सी.जी.: 2001) संयुक्त सचिव, वित्त विभाग एवं संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग केवल संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगी.

3. श्रीमती सैन भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. किण्डो, भा.प्र.से. (सी.जी.: 1997) विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, संचालक, कोष एवं लेखा, महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा सचिव, छ.ग. राज्य वित्त आयोग, रायपुर केवल सचिव, छ.ग. राज्य वित्त आयोग, रायपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2013

क्रमांक ई-1-1/2013/एक/2.—श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से., (सी.जी.: 2002) प्रबंध संचालक, पाठ्य पुस्तक निगम, रायपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

यह आदेश दिनांक 01-03-2013 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**सुनिल कुमार**, मुख्य सचिव.

---

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2013

क्रमांक 73/60/2013/1-8/स्था.—श्री एन. के. भट्टर, उप सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 04-02-2013 से 15-02-2013 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 03, 16 एवं 17-02-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री भट्टर आगामी आदेश तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री भट्टर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भट्टर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक 79/31/2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 26-12-2012 से 31-12-2012 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 25-12-2012 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती खेस्स आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खेस्स अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक 81/20/2013/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, उप सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग को दिनांक 04-02-2013 से 08-02-2013 तक कुल 05 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 03, 09 एवं 10-02-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक गृह विभाग में उप सचिव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक 83/53/2013/1-8/स्था.—श्री सुरेन्द्र सिंह बाघे, अवर सचिव, छ. ग. शासन, वन विभाग को दिनांक 26-12-2012 से 05-01-2013 कुल कुल 11 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 25-12-2012 तथा 06-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बाघे आगामी आदेश तक वन विभाग में अवर सचिव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बाघे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बाघे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक 85/04/2013/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 31-12-2012 से 05-01-2013 तक कुल 06 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 30-12-2012 तथा 06-01-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री लेवे आगामी आदेश तक अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2013

क्रमांक 87/58/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 04-02-2013 से 08-02-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 03, 09 एवं 10-02-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 2 फरवरी 2013

क्रमांक 91/571/अव./2012/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग को दिनांक 01-08-2012 से 14-08-2012 तक 14 दिवस तथा 28-01-2013 से 08-02-2013 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 25, 26, 27-01-2013 तथा 09, 10-02-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मालवीय आगामी आदेश तक श्रम विभाग में उप सचिव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मालवीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से त ा आदेशानुसार,
**के. सी. र्मा**, अवर सचिव.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्रमांक/460/अ.भू.अ./प्र.क्र. 2/अ-82/वर्ष 2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बेमेतरा | थानखम्हरिया | खाती | 0.206 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव. | कारेशरा खम्हरिया मार्ग के किलो. मी. 5/6 पर खाती नाला पर पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**श्रुति सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 28 फरवरी 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़ (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-आमापाली, प.ह.नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.372 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 201/4 | 0.121 |
| 213/1 | 0.020 |
| 167/1 | 0.081 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 212/3 | 0.032 |
| 212/2 | 0.283 |
| 212/4 | 0.202 |
| 153/3 | 0.101 |
| 167/2ख | 0.073 |
| 167/14 | 0.121 |
| 205 | 0.081 |
| 204/2 | 0.324 |
| 165 | 0.020 |
| 208/1 | 0.364 |
| 167/4 | 0.202 |
| 206 | 0.287 |
| 212/1 | 0.048 |
| 167/8 | 0.085 |
| 203 | 0.162 |
| 166 | 0.065 |
| 97/1 | 0.304 |
| 167/5 | 0.202 |
| 201/7 | 0.121 |
| 167/2क | 0.073 |
| योग 23 | 3.372 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में उपलब्ध है शासकीय कार्य दिवस एवं कार्यावधि में अवलोकन/निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अमित कटारिया,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक 14/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्राशेड
(ग) नगर/ग्राम-भस्कुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.94 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 163/3 | 0.41 |
| 266 | 0.02 |
| 552/2 | 0.92 |
| 791 | 0.17 |
| 236/6 | 0.44 |
| 211/1 | 0.18 |
| 236/7 | 0.46 |
| 264/2 | 0.04 |
| 431/1 | 0.44 |
| 594/2 | 0.36 |
| 211/3 | 0.18 |
| 166/3 | 0.23 |
| 210/3 | 0.14 |
| 211/2 | 0.18 |
| 235/2 | 0.55 |
| 264/1 | 0.04 |
| 594/3 | 0.05 |
| 597/1 | 0.26 |
| 687, 717 | 0.28 |
| 386/1 | 1.03 |
| 458/9 | 0.22 |
| 594/1 | 0.10 |
| 469/2 | 0.10 |
| 267/1 | 0.07 |
| 385/2 | 0.28 |
| 247 | 0.14 |
| 597/3 | 0.26 |
| 321/1 | 0.80 |
| 397/1 | 0.23 |
| 718/1 | 0.51 |
| 468/1 | 0.17 |
| 249/2 | 0.14 |
| 235/1 | 0.20 |
| 245/1 | 0.18 |
| 320 | 0.13 |
| 265/1 | 0.03 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 554 | 0.36 |
| 558 | 0.36 |
| 595 | 0.34 |
| 792/1 | 0.80 |
| 457/1 | 0.21 |
| 453 | 0.03 |
| 470/1 | 0.41 |
| 168/1 | 0.05 |
| 257/1 | 0.83 |
| 454/1 | 0.20 |
| 469/1 | 0.10 |
| 596/1 | 0.20 |
| 596/2 | 0.53 |
| 764, 765/1घ | 1.19 |
| 261/1 | 0.58 |
| 394 | 0.28 |
| 395 | 0.28 |
| 397/2 | 0.19 |
| 261/2 | 0.39 |
| 400 | 0.23 |
| 458/15 | 0.11 |
| 468/2 | 0.03 |
| 551 | 0.10 |
| 719/1 | 0.29 |
| 720/1 | 0.44 |
| 788/1 | 0.16 |
| 727/3 | 0.05 |
| 175/1 | 0.41 |
| 727/1 | 0.04 |
| 728/2 | 0.04 |
| 716/2 | 0.87 |
| 719/2 | 0.28 |
| 555/1, 556/1 | 0.13 |
| 458/8 | 0.02 |
| 454/7 | 0.28 |
| 248 | 0.39 |
| 787 | 0.14 |
| 393 | 0.11 |
| 432 | 0.50 |
| 260/2 | 0.10 |
| 218/1 | 0.50 |
| 433/2 | 0.08 |
| 433/1 | 0.56 |
| 437/1 | 0.60 |
| 467/2 | 0.46 |
| 249/1 | 0.06 |
| 598/2 | 0.08 |
| 401 | 0.05 |
| 457/2 | 0.13 |
| 719/3 | 0.29 |
| 210/2 | 0.14 |
| योग 84 | 25.94 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना की मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 25 फरवरी 2013

क्रमांक 15/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उंक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-दर्री
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-25.35 एकड़

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (एकड़ में) (2) |
|---|---|
| 208/1 | 0.25 |
| 256 | 0.24 |
| 258/2 | 0.15 |
| 596 | 0.03 |
| 121 | 0.31 |
| 531/1 | 0.41 |
| 524/1 | 0.10 |
| 102/2 | 0.15 |
| 186/1 | 0.03 |

| (1) | (2) | (1) | (2) |
|---|---|---|---|
| 330/1 | 0.23 | 508/2ख, 521/2ख | 0.23 |
| 330/2 | 0.46 | 510/1 | 0.07 |
| 387/1 | 0.37 | 522/2 | 0.14 |
| 349 | 0.06 | 525/2 | 0.03 |
| 530/1, 531/5, 532/2 | 0.44 | 508/6, 508/8, 512/4 | 1.10 |
| 342 | 0.28 | 524/3क | 0.39 |
| 350, 351/2 | 0.04 | 526/1 | 0.07 |
| 530/4 | 0.22 | 528/10 | 0.12 |
| 524/2 | 0.15 | 95/2 | 0.18 |
| 80/2 | 0.14 | 528/1 | 0.41 |
| 109 | 0.24 | 81/1 | 0.16 |
| 257/1, 257/2 | 0.03 | 101/2 | 0.29 |
| 258/1 | 0.15 | 332/2 | 0.18 |
| 112 | 0.02 | 119 | 0.54 |
| 204/1 | 0.03 | 209/1 | 0.10 |
| 308/1 | 0.06 | 207 | 0.17 |
| 308/2, 309/2 | 0.05 | 205 | 0.25 |
| 271/3 | 0.22 | 271/2 | 0.28 |
| 386/8 | 0.19 | 331 | 0.05 |
| 102/1 | 0.15 | 110 | 0.45 |
| 306/3, 306/4, 306/5 | 0.28 | 113/1, 118 | 0.23 |
| 306/1, 306/2 | 0.20 | 210 | 0.49 |
| 96/1 | 0.08 | 340 | 0.41 |
| 99/2 | 0.37 | 343 | 0.36 |
| 99/3 | 0.37 | 206/1 | 0.23 |
| 386/1 | 0.19 | 320/1 | 0.20 |
| 81/2 | 0.16 | 508/1ख, 521/1ख | 0.15 |
| 488/1 | 0.35 | 520/2 | 0.30 |
| 487/1 | 0.50 | 522/1 | 0.14 |
| 95/1 | 0.03 | 524/3ख | 0.05 |
| 90/2 | 0.22 | 524/7 | 0.50 |
| 98/2 | 0.08 | 206/2 | 0.41 |
| 99/1 | 0.10 | 211 | 0.07 |
| 255 | 0.17 | 270/1घ | 0.32 |
| 102/1 | 0.17 | 101/1 | 0.29 |
| 212/2 | 0.10 | 332/1 | 0.19 |
| 275 | 0.26 | 111 | 0.81 |
| 348 | 0.22 | 310 | 0.39 |
| 528/2 | 0.41 | 79 | 0.60 |
| 529/1 | 0.05 | 80/1 | 0.14 |
| 272/2 | 0.23 | 320/2 | 0.17 |
| 333/1ख | 0.40 | 307/2 | 0.06 |
| 386/7 | 0.19 | 122 | 0.35 |
| 530/3, 532/1, 533/2 | 0.41 | 524/6 | 0.50 |
| 345 | 0.52 | 524/4 | 0.15 |
| 507/2 | 0.34 | 524/5 | 0.10 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 307/3 | 0.08 |
| | 488/2 | 0.45 |
| | 333/1ग | 0.20 |
| | 333/1घ | 0.20 |
| योग | 103 | 25.35 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दर्री व्यपवर्तन योजना की मुख्य एवं माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रामसिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.